<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

(1) अपील/डिक्री/टीए/3124/2003/गंगानगर

नक्षत्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति जटसिख निवासी मोहला तहसील करणपुर जिला गंगानगर

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. रणजीत सिंह
2. मलकियत सिंह
3. मु.सीतो

   पुत्रगण/पुत्री गुरमुखसिंह जाति जट सिख निवासी चक 2 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर
4. बसन्त कौर पुत्री गुरमुख सिंह पत्नी करतार सिंह जाति जट सिख निवासी चक 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर
5. दलबीर कौर बेबा बलौर सिंह
6. गुरविन्द्र सिंह 7. हरविन्द्र सिंह पुत्रगण बलौर सिंह
7. नत्था सिंह 9. जस्सा सिंह पुत्रगण बलबीर सिंह

   जाति जटसिख निवासी मोहला तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर
10. स्टेट आफ राजस्थान
11. जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थीगण

(2) अपील/डिक्री/टीए/3260/2003/गंगानगर

1. रणजीत सिंह
2. मलकियत सिंह पुत्रगण श्री गुरमुखसिंह जाति जट सिख
3. मु.सीतो पुत्री गुरमुख सिंह

4. बसन्त कौर पुत्री गुरमुख सिंह पत्नी करतार सिंह समस्त जाति जट सिख निवासी मोहला तहसील करनपुर वर्तमान में 2 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर

द्वारा मुख्तारआम सरजीत सिंह पसुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति जट सिख निवासी मोहला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1.दलबीर कौर विधवा बलोर सिंह पुत्र बलबीर सिंह

2.राजविन्द्र सिंह 3. गुरविन्द्र सिंह पुत्रगण बलोर सिंह पुत्र बलबीर सिंह

4. नक्षत्र सिंह 5. नत्था सिंह 6. जस्सा सिंह पुत्रगण बलबीर सिंह समस्त जाति जटसिख निवासी मोहला तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर

7. राजस्थान राज्य

8. जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्ध अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोंदारा सदस्य

उपस्थित
अपील/डिक्री/टीए/3124/2003/गंगानगर

श्री अभिषेक छाबडा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सतबीर सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी

श्री पुरूषोत्तम अभिभाषक प्रत्यर्थी

श्री मनीष पाण्डया अभिभाषक प्रत्यर्थी

अपील/डिक्री/टीए/3260/2003/गंगानगर

श्री मनीश पाण्डया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सतवीर सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री पुरूषोत्तम शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 18.7.2019

1. यह दोनों अपीलें राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–6–2003 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों अपीलों में वादग्रस्त आराजी समान है,निर्णायक बिन्दु समान है तथा पक्षकार भी लगभग समान हैं इसलिये दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक निर्णय से किया जाता है। निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली के में संलग्न की जावे।

3. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपजिला कलेक्टर श्रीकरनपुर के न्यायालय में गुरमुख सिंह के वारिसान रणजीत वगैरा ने मु.दलवीर कौर व अन्य तथा नक्षत्र सिंह के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,53,188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1लगात3 व 5 के सम्मन अखबार में साया होंने के बाबजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया कि बलोर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारिस दलबीर कौर पत्नी व हरविन्द्र सिंह पुत्र को बतौर प्रतिवादी बनाया जावे। वादी की ओर से एतराज नहीं होन पर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 5–1–93 को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी दलबीर कौर पत्नी बलोर सिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम 7 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध दिनांक 4–3–1991 को की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर जबाब दावा प्रस्तुत करने की अनुमति चाही जो स्वीकार की गई। तत्पश्चात दलबीर कौर, नक्षत्र सिंह, हरविन्द्र सिंह की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल सात तनकीयात कायम की। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 19–3–2001 के द्वारा गुरमुख सिंह के वारिसान रणजीत वगैरा का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर वादीगण रणजीतसिंह वगैरा ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होनें अपने निर्णय दिनांक 19–6–2003 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी करनपुर के निर्णय व दिनांक 29–3–2001 को निरस्त कर चक 3 आर के मु.नं.20 की 24बीघा 10विस्वा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/5 हिस्से तथा रेस्पो. को 1/5हिस्से का खातेदार घोषित करने के आदेश पारित किये। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 19–6–2003से व्यथित होकर यह दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी नक्षत्र सिंह के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि तनकी संख्या 1 में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमि अकेले गुरमुख सिंह को आवंटन की गई थी अथवा गुरमुख सिंह तथा वादीगण संख्या

1लगायत 4 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर आवंटन की गई थी। इस बिन्दु को साबित करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आवंटन आदेश था जिसे वादीगण ने प्रस्तुत ही नहीं किया। वादीगण द्वारा प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्बत 2041 जो विवादग्रस्त भूमि की है के अनुसार केवल गुरमुख सिंह को ही आवंटन की गई है। जब वादीगण इस तनकी को साबित ही नहीं कर पाये तो विचारण न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय वादीगण के विपरीत किया। अपील अधिकारी ने केवल सनद के आधार पर ही इस तनकी का निर्णय कर दिया है। वादग्रस्त आराजी केवल गुरमुख सिंह को आवंटन की गई थी। तनकी संख्या 2 का निर्णय तनकी संख्या 1 पर आधारित है। तनकी संख्या 3 यह थी कि क्या मृतक गुरमुख सिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 18–3–1968 बहक प्रतिवादीगण खिलाफ कानून, अवैध शून्य है जो वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है। विवादित आराजी पुर्नवास विभाग द्वारा गुरमुख सिंह को आवंटन की गई व आवंटन के आधार पर रेकार्ड आफ राईट अधिकार अभिलेख जमाबन्दी में गुरमुख सिंह अकेले के नाम अंकित हुई और गुरमुख सिंह ने रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 18–3–68 को बलौर सिंह, नक्षत्र सिंह नत्था सिंह व जस्सा सिंह पुत्रगण बलबीर सिंह को विक्रय कर दी। विक्रय के आधार पर खरीददारान का नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया। वादी रणजीत सिंह व मलकियत सिंह ने बेचान के पक्ष में सहमति देकर शपथ पत्र दिनांक 18–3–68 निष्पादित किया। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–6–03 निरस्त किये जावें। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1992 पेज 611 की नजीर पेश की।

6. अपीलार्थी रणजीत सिंह वगैरा के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 6–5–69 को हुआ जिसकी

खातेदारी सनद दिनांक 24–11–71 को प्राप्त हुई जबकि विक्रय दिनांक 13–3–68 को कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यह विक्रय मूलतः शून्य है क्योंकि पुर्नवास विभाग की सम्पति को जब तक सनद प्राप्त नहीं हो, आवंटी को उस पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह विक्रय मूलतः शून्य है। यदि तर्क के लिये यह स्वीकार भी किया जावे कि भूमि गुरमुख सिंह को आवंटन हुई थी तो भी उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 13–3–68मूलतः शून्य होने से क्रेतागण को कोई अधिकार हस्तान्तरिती से नहीं हुये एवं गुरमुख सिंह की मृत्यु उपरान्त वे अधिकार गुरमुख सिंह में ही रहे तथा जैसे ही गुरमुख सिंह की मृत्यु हुई वह समस्त भूमि अपीलिार्थीगण में निहित हो गई। किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा 1/5हिस्सा प्रतिवादीगण को देकर विधिक त्रुटि की है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–6–03 यथावत रखते हुये निर्णय में विवाद संख्या 2 में गुरमुख सिंह का 1/5हिस्सा बताना एवं विवाद बिन्दु संख्या 3 में उक्त 1/5हिस्सा बेचने का गुरमुख सिंह को अधिकार मानते हुये 1/5 हिस्सा के प्रतिवादीगण को हकदार मानने की सीमा तक अपील अधिकारी का निर्णय निरस्त किया जावे।

7. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादीगण रणजीत वगैरा की ओर से प्रस्तुत फैमली कार्ड प्रदर्श–1 के अनुसार मुखिया गुरमुख सिंह, मु.जयकोर पत्नी, मु.सीतो लडकी, रणजीत सिंह मलकियत सिंह पुत्र अंकित हैं। प्रदर्श–2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी गुरमुख सिंह पुत्र चन्द सिंह कौम

जटसिख अलोटी दर्ज है। जिसकी सनद संख्या 8788 दिनांक 24–11–71 प्रदर्श–3 जारी हुई,के अनुसार गुरमुखसिंह पुत्र चन्द सिंह के नाम है। जिसमें फैमली सदस्य अलोटी स्वयं जयकौर पत्नी, सीतो पुत्री,रणजीत,मलकियत सिंह पुत्र अंकित हैं जो पुर्नवास विभाग द्वारा आवंटन है। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी वादीगण को बहिस्सा बराबर आवंटन हो। यदि वादग्रस्त आराजी बहिस्सा बराबर आवंटन होती तो प्रदर्श–2 में भी वादीगण का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी में अकेले गुरमुख सिंह गैर खातेदार दर्ज है। गुरमुख सिंह की मृत्यु के बाद ही वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार हो सकते थे। आवंटन गुरमुख सिंह को हुआ था। परिवार के सदस्यों की संख्या को देखते हुये जमीन आवंटन की जाती है परन्तु इससे यह अर्थ लगाया जाना न्यायोचित नहीं है कि सभी के नाम शामलाती आवंटन हुआ था। आवंटी तो वही होगा जिसके नाम आवंटन हुआ है। केवल परिवार के सदस्य होने से शामलाती आवंटन होना नहीं माना जा सकता है।

9. प्रश्नगत आराजी दिनांक 18–3–68को वादीगण के पिता गुरमुख सिंह के द्वारा जरिये बैनामा प्रतिवादी बलोर सिंह मृतक,नक्षत्र सिंह, नत्था सिंह, जस्सा सिंह पिसरान बलबीर सिंह कौम जट सिख को बेचान की थी जो प्रदर्श–4 बैनामा है। बलौर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1लगायत 3 हैं। बेचान के समय अलोटी गुरमुख सिंह अकेले के नाम गैर खातेदार रकबा दर्ज था। जिसे अपनी भूमि बेचान करने का पूर्ण अधिकार था। यहां यह उल्लेखनीय है कि बेचान के दिन मृतक गुरमुख सिंह के वारिसों द्वारा दिये गये हलफनामों में रणजीत सिंह, मलकियत सिंह बसन्तकौर ने अपनी सहमति दी है। वादीगण अपने शपथ पत्र से बाध्य हैं। उक्त शपथ पत्र साक्ष्य के दौरान

प्रदर्शित भी किया गया है इसलिये विक्रय की जानकारी वारिसान को थी। इस आधार पर दावा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त भी बेचान दिनांक 18–3–1968 को किया गया है और दावा वर्ष 1989 में पेश किया गया है जो कि 21साल बाद पेश किया गया है। बैनामा जब प्रतिवादीगण के पक्ष में है तो वादगस्त आराजी का ठेका देने की बात हास्यास्पद लगती है। रणजीत सिंह,मलकियत सिंह,बसन्त कौर द्वारा दिया गया हलफनामा प्रदर्श ए–1 से स्पष्ट है कि बेचान का वादीगण को शुरू से ज्ञान था। अतः वादीगण का यह कथन कि उन्हें उक्त बेचान का ज्ञान नहीं था, माने जाने योग्य नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपील संख्या 3124/2003 नक्षत्र सिंह बनाम रणजीत सिंह व अन्य स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–6–2003 निरस्त किये जाते हैं। उप जिला कलेक्टर श्रीकरणपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–3–2001 की पुष्टि की जाती है। अपील संख्या 3260/03 रणजीत सिंह व अन्य बनाम मु.दलबीर कौर व अन्य खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य